अनुदान संख्या 67 – कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 67–MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	116,01,00	116,02,00	103,85,91	–12,16,09
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,18,31
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*9,00,00*	*9,00,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
पूरक	Supplementary	60,00	60,00	62,48	+2,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	3193.00	3041.14	2948.49	–92.65
पु.	R.	–151.86			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	4549.00	3688.48	3603.83	–84.65
पु.	R.	–860.52			

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2070'' - ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय'' के अंतर्गत 245.21 लाख रु. की बचत (3159.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधुनिकीकरण और कार्यालय परिसरों को किराए पर लेने के प्रस्ताव को छोड़ने, कम विदेशी दौरे किए जाने, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के प्रकाशन पर कम व्यय होने और सूचना सुविधा केन्द्रों पर कम विज्ञापनों के लगाए जाने और किफायत के रूप में कटौतियां किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी''- 102.01 लाख रु. की बचत (821.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की प्रगति धीमी गति से होने और पूंजीगत भाग में पूरक अनुदान प्राप्त करने के लिए 2003-04 के लिए संशोधित अनुमानों में कम आबंटन किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य प्रशिक्षण स्कीमें''- 300.08 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर बजट आबंटन के घटाए जाने की वजह से प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए दो सप्ताह के तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण से संबंधित यूएनडीपी परियोजना''- 561.18 लाख रु. की बचत (990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को आगे बढ़ाए जाने से कार्यकलापों की समयसूची पुनःनिर्धारित किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 56.65 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, व्यय फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 60.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान से 2.48 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2070" - "Other Administrative Services."

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat– Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" - saving of Rs.245.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3159.00 lakhs) was due to dropping of proposal of modernisation and hiring of office premises, conducting of less foreign tours, less expenditure on publication of Central Secretariat Manual of Office Procedure and not bringing out of advertisements on Information Facilitation Centres and economy cuts.

(III) Under Major Head "2070" – "Training" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – saving of Rs.102.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.821.05 lakhs) was due to slow pace of work and reduced allocation in revised estimates for 2003-04 to obtain a supplementary grant in the capital section.

(B) "Other Training Schemes" – saving of Rs.300.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs) was due to cancellation of three 2-weeks training programme for Administrative Service Officers owing to reducing of budget allocation at revised estimates stage.

(C) "UNDP Project for Capacity Building in Public Administration" - saving of Rs.561.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.990.00 lakhs) was due to rescheduling of activities as the project has been extended.

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.56.65 lakhs under one head constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the expenditure exceeded the supplementary provision of Rs.60.00 lakhs obtained in February, 2004 by Rs.2.48 lakhs

व्यय 2,48,086 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांग स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

(actual excess was Rs.2,48,086). **Excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
पू.	S.	60.00	60.00	62.48	+ 2.48

(I) "सामान्य - निर्माण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" के अंतर्गत 2.48 लाख रु. का अधिक व्यय (60.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) अनुमान तैयार करने के बाद भवन सामग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(I) Under "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - excess of Rs.2.48 lakhs (against the supplementary provision of Rs.60.00 lakhs) was due to increase in the rates of building material after framing the estimates.